जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237

ई–मेलः divcomm-udai-rj@nic.in

क्रमांकः एफ 17/14/आर.टी.आई./प्रथम अपील/2025/2654 दिनांकः 12/09/2025

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा–19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
अपील संख्या – 07/2025

श्री महेश्वर सिंह कच्छावा
एफ. रोड मकान नम्बर
32, भूपालपुरा, उदयपुर — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर — प्रत्यर्थी

निर्णय

उक्त अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर (लोक सूचना अधिकारी) को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 10.12.2024 पर सूचना प्राप्त नहीं होने पर, अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर के समक्ष दिनांक 07.08.2025 को प्रस्तुत की गई।

1. प्रार्थना पत्र एवं अपील का विवरण :–

1.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक	10.12.2024
2.	प्रार्थना पत्र का जबाब/सूचना प्रेषित किये जाने की दिनांक	10.01.2025
3.	लोक सूचना अधिकारी, जिसने जबाब प्रेषित किया/किया जाना है	अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
4.	प्रथम अपील प्राप्ति दिनांक (संभागीय आयुक्त, उदयपुर में)	07.08.2025
5.	प्रथम अपील सुनवाई दिनांक	18.08.2025
6.	प्रथम अपील निर्णय दिनांक	12.09.2025

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :– सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.12.2024 से निम्न सूचना चाही गई –

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना
1.	वर्ष 2015 से आज दिनांक तक राजकीय आवास आवंटन हेतु समस्त प्राप्त प्रार्थना पत्र ऑन–लाईन एवं ऑफ लाईन प्राप्त हुए उन सभी प्रार्थना पत्रों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।
2.	वर्ष 2015 से आज दिनांक तक जितने भी राजकीय आवास आप द्वारा आवंटित किये उन राजकीय आवासों के आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

राजस्थान सरकार
कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर
1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237
ई–मेल: divcomm-udai-rj@nic.in

3.	उदयपुर शहर में सभी जगह के कुल राजकीय आवास जितने है उनमें से आवंटित एवं रिक्त आवासों की सूची की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।
4.	परिवीक्षाधीन कर्मचारी के राजकीय आवास जो आवंटित किये उनके राजकीय आवास आवंटन करने के नियम की पत्रावली की प्रमाणित प्रति।
5.	राजकीय आवास में आपके द्वारा दि गई व्यावसायिक कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।
6.	राज्य कर्मचारी ना होते हुए भी आप द्वारा उनके राजकीय आवास आवंटित किये उनके नियम के पत्रावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।
7.	ऐसे कर्मचारी जिनका कार्यालय उदयपुर शहर से 20 किलोमीटर से दूर है या बाहर है उनके राजकीय आवास आवंटन करने के नियम के पत्रावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से बिन्दु संख्या 02 के अलावा अन्य बिन्दुओं संबंधी पूर्ण सूचना नहीं दिये जाने से प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

3. **प्रकरण का निर्णयः–**

अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई दिनांक 18.08.2025 को उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया। सुनवाई में अपीलार्थी तथा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर उपस्थित रहे।

लोक सूचना अधिकारी ने अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना के बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना (कुल 340 पृष्ठ), जो भी उपलब्ध थी, उपलब्ध करायी जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्य 01 में वर्ष 2015 से आज दिन तक जिन भी कार्मिकों द्वारा राजकीय आवास आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र (ऑफलाईन/ऑनलाईन) प्रस्तुत किये है, की प्रतिलिपियॉ चाही है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अलग–अलग पत्रावलियों में संधारित है एवं आवेदन पत्र में संबंधित कार्मिक की व्यक्तिगत सूचना आदि भी अंकित रहती है। अतः अलग–अलग पत्रावलियों से सूचना निकालकर व तैयार कर दिये जाने में अत्यन्त समय एवं संसाधन लगने के साथ ही, व्यक्तिगत प्रकृति की सूचना है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है। प्रार्थी को वर्ष 2015 से आज दिन तक जिन कार्मिकों ने राजकीय आवास आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है एवं जिन कार्मिकों को राजकीय आवास आवंटित किये गये है, की सूची उपलब्ध करायी जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 03 की सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित है तथा बिन्दु संख्या 04, 06 व 07 में राजकीय आवास आवंटन के नियमों की प्रति चाही है, जो सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है तथा बिन्दु संख्या 05 में राजकीय आवास में व्यावसायिक कार्य करने की अनुमति की सूचना शून्य होने से भी प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः प्रार्थी को समस्त सूचना उपलब्ध करायी जा चुकी है। अतः अपील निरस्त की जावें तथा अपील निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत की गई है। इस आधार पर भी अपील निरस्त योग्य है।

प्रार्थी ने निवेदन किया कि उसे पूर्ण सूचना उपलब्ध नही करायी गई है। अतः सूचना उपलब्ध करायी जावें तथा वह स्वयं देवस्थान विभाग का कार्मिक है तथा पूर्व में उसके द्वारा भी राजकीय आवास आवंटन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, परन्तु वर्तमान में वह निलम्बित चल रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19(1) के अनुसार सूचना प्राप्त होने अथवा सूचना प्राप्ति की अवधि समाप्ति से 30 दिवस के भीतर व्यथित व्यक्ति प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकता है। जबकी प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

राजस्थान सरकार
कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर
1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237
ई–मेलः divcomm-udai-rj@nic.in

द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने की दिनांक 10.01.2025 से लगभग 6 माह पश्चात् अपील प्रस्तुत की है।

प्रार्थी को लगभग 340 पृष्ठों की सूचना उपलब्ध करायी जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या–1 व 2 में चाही गई सूचना काफी विस्तृत, व्यापक एवं व्यक्तिगत सूचना की प्रकृत्ति की है, जिसमें प्रथमदृष्टया किसी भी प्रकार का लोकहित प्रकट नहीं होता है। राजकीय आवास का आवंटन सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार ही किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या–4 से 7 में चाही गई सूचना सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान की वेबसाईट पर उपलब्ध होने से वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या–3 में राजकीय आवास की कुल संख्या, उनमें से आवंटित एवं रिक्त आवासों की सूची चाही है। चूंकि राजकीय आवास का आवंटन एवं आवास की रिक्ति एक सतत् प्रक्रिया है, जिसकी सूचना सदैव एक समान नहीं रहती है, परन्तु राजकीय आवासों की संख्या निश्चित है। अतः लोक सूचना अधिकारी प्रार्थी को उदयपुर शहर में कुल राजकीय आवास की संख्या की सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावें।

अतः उपरोक्तानुसार अपील आज दिनांक 12.09.2025 को निस्तारित की जाती है। अगर अपीलार्थी उक्त आदेश से असंतुष्ट है तो माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, झालाना डूंगरी, जयपुर में 90 दिवस के भीतर द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(प्रज्ञा केवलरमानी) IAS
संभागीय आयुक्त, उदयपुर
(प्रथम अपील अधिकारी)

प्रतिलिपिः–

1. श्री महेश्वर सिंह कच्छावा एफ. रोड मकान नम्बर 32, भूपालपुरा, उदयपुर
2. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर।

संभागीय आयुक्त, उदयपुर
(प्रथम अपील अधिकारी)